न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 80/2026
आदेश

30.03.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त धर्मेन्द्र शर्मा की ओर से दाखिल किया गया है, जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 3(5) के अधीन दर्ज दिनारा थाना कांड सं0 राजपुर 172/2025 में गिरफतार किए जाने की आशंका है तथा उक्त वाद वर्तमान में श्री आदित्य गर्ग, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार सिंह को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक रवि रंजन शर्मा के पिता जोखू शर्मा की मृत्यु दिनांक 11.12.2025 को सरकारी अस्पताल, सासाराम में संदिग्ध अवस्था में हो गई थी, जिसके पीछे एक छिपी हुई साजिश थी, जो धीरे–धीरे सामने आई। आगे अभियोजन का वाद यह है कि दिनांक 10.12.2025 को सूचक के पिता शादी समारोह में शामिल होने सासाराम गए थे। उनके साथ धर्मेन्द्र शर्मा, अभय चौधरी तथा सोना कुंवर आदि लोग भी थे। विवाह के उपरांत उक्त व्यक्तियों द्वारा सूचक के पिता को सियावक टोला ले जाकर मारपीट की गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके पश्चात उक्त अभियुक्तों द्वारा घायल अवस्था में उन्हें राजपुर ले जाकर सड़क पर फेंक दिया गया तथा उन्हें वाहन से कुचलकर मारने का प्रयास किया गया और मृत समझकर बोरे से ढक दिया गया। आगे अभियोजन का वाद यह है कि उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा सूचक के पिता की हत्या की गई थी।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध एक आपराधिक वाद दर्ज किया गया था, जिसका निपटारा हो चुका है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी गलत और मनगढ़ंत है। जैसा कि अभियोजन ने कहा है वैसी कोई घटना नहीं घटी थी। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त को उसके शत्रुओं के कहने पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी घटना के सात दिनों के बाद दर्ज करवाई गई है तथा विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक अभियुक्त सूचक का मामा है और उसके पास अपनी बहन के पति के विरुद्ध अपराध करने का कोई कारण नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने

लगातार
30.03.2026

आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध सह अभियुक्तों के साथ मिलकर संगठित रूप से सूचक के पिता की हत्या करने की बात कही जाती है। आगे विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि सूचक की ओर से प्राथमिकी को विलम्ब से दर्ज करवाने का उचित स्पष्टीकरण दिया गया है, सूचक को जब अपने पिता की हत्या की साजिश का पता चला तो उसने प्राथमिकी दर्ज करवाया। वाद अभी अनुसंधान के क्रम में है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्त के अनुसार उसका एक आपराधिक वाद था, जिसका निपटारा हो चुका है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध सह अभियुक्तों के साथ मिलकर संगठित रूप से सूचक के पिता की हत्या करने की बात कही जाती है। सूचक को अपने पिता की हत्या की साजिश का पता चलने पर उसके द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाने की बात कही जाती है। वाद अभी अनुसंधान के क्रम में है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों को विचार करने के पश्चात वाद के वर्तमान प्रक्रम में मैं आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन वाद के वर्तमान प्रक्रम में **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।